



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
 (A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. SD/6/2016/MRLY1/SEOTH/RU-I

दिनांक: 31.01.2019

सिटिंग नोटिस

विषय: बेटी को अनुकंपा के आधार पर रेल्वे प्रशासन द्वारा नौकरी दिलवाने के संबंध में- श्रीमती सहोद्री देवी, पत्नी स्व० चंदा मण्डल, (भूतपूर्व- कुक/ स्टेशन प्रबन्धक, साहेबगंज) ग्राम- केलबाड़ी पोखरीया, पोस्ट एवं जिला- साहेबगंज, (झारखंड) का दिनांक 27.12.2018 का प्रतिउत्तर ।

Ref: Eastern Railway, letter No. E.220/1/1/RR/Rep/Commn/ST/Pt.II dated 31.07.2018.

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (श्रीमती सहोद्री देवी, पत्नी स्व० चंदा मण्डल, (भूतपूर्व- कुक/ स्टेशन प्रबन्धक, साहेबगंज) ग्राम- केलबाड़ी पोखरीया, पोस्ट एवं जिला- साहेबगंज, (झारखंड) का दिनांक 27.12.2018 के प्रतिउत्तर की प्रति संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया ~~उडके~~ माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली में दिनांक **15.02.2019 at 03.00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक

दूरभाष-011 24641640

o/c

महाप्रबन्धक,
पूर्व रेल्वे, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकता- 700001

901-02
1-2-19
जारी किया
ISSUED